

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2015

का.आ.1583(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 10.03.1997 की अधिसूचना सं. का. आ. 180 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “बेंगलुरु होस्पार्स ट्रस्ट मार्फत भारतीय कैंसर सोसायटी, नया तिप्पासौद्रा मेन रोड, एच ए एल, 3 स्टेज, बेंगलुरु-560075” द्वारा “बेंगलुरु, कर्नाटक में कैंसर से गम्भीर रूप से पीड़ित रोगियों की देखभाल के लिए 50 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण

और इसके उपस्कर व साज सज्जा" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1997-1998 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 17 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 23.02.2000 की अधिसूचना सं. का. आ. 156 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2000-2001 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 09-12-2002 अधिसूचना सं. का. आ. 1285 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 26.04.2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 502 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-2006 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 2389 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-2009 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे आगे दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1872 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-2012 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 09-12-2002 की अधिसूचना सं. का. आ. 1285 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 271.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 423.00 लाख रुपये कर दिया गया था, दिनांक 26-04-2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 502 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 423.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 609.00 लाख रुपये कर दिया गया था, दिनांक 03-10-2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 2389 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 609.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 879.00 लाख रुपये कर दिया गया था, दिनांक 11-08-2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1872 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 879.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 2007.00 लाख रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के अठारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, "बेंगलुरु होस्पईस ट्रस्ट मार्फत भारतीय कैंसर सोसायटी, नया तिरुपुसैन्द्रा मेन रोड, एच ए एल, 3 स्टेज, बेंगलुरु- 560075" द्वारा चलाई जा रही "बेंगलुरु, कर्नाटक में कैंसर से गम्भीर रूप से पीड़ित रोगियों की देखभाल के लिए 50 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण और इसके उपस्कर व साज सज्जा" की परियोजना को, 2007.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-2015, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2014-2015 समाप्त हो चुका है, अतः आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

[सं.154 /2015/फा. सं.वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)